कार्यालय–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: **माँ–शिक्षक बैठक (MTM) की दिनांक 18.11.2017 को आयोज्य बैठक हेतु दिशा–निर्देश** ::

विद्यार्थी का विद्यालय के पश्चात घर में सर्वाधिक समय अपनी माता अथवा अन्य महिला अभिभावक के सान्निध्य में व्यतीत होता है। अतः विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास पर सर्वाधिक प्रभाव उसकी माता अथवा महिला अभिभावकों के साथ नित्य प्रति होने वाली अन्तः क्रिया का पड़ता है। छत्रपति शिवाजी की माता आदरणीया जीजा बाई का नाम उक्त संदर्भ में आदर्श उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। उक्तानुरूप विद्यार्थी की माता अथवा उसके साथ सर्वाधिक समय व्यतीत करने वाली महिला अभिभावक का जुड़ाव पूर्ण संवेदना एवं जागरूकता के साथ विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि एवं अधिगम प्रगति से होना उसके सहज एवं समग्र शैक्षिक विकास के लिए परमावश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा विधान सभा में प्रतिवर्ष आयोज्य अध्यापक–अभिभावक परिषद की बैठकों में से इस वर्ष से एक बैठक का आयोजन माँ–शिक्षक बैठक (MTA) के रूप में किए जाने बाबत घोषणा की गई थी। उक्त क्रम में शिविरा पचांग : 2017–18 में दिनांक : 18.11.2017 को माँ–शिक्षक बैठक (MTM) आयोज्य है। उक्त दिवस को अमावस्या तिथि के अनुरूप विभाग द्वारा प्रदत्त स्थायी निर्देशानुसार SDMC एवं SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक भी पूर्ण निर्धारित है। सत्र 2017–18 में अध्यापक–अभिभावक परिषद की प्रथम बैठक (I-PTM) दिनांक : 05.05.2017 एवं द्वितीय बैठक (II-PTM) दिनांक 20.09.2017 को आयोजित की जा चुकी है। उक्त क्रम में सत्र 2017–18 हेतु अध्यापक–अभिभावक परिषद की तृतीय बैठक (III-PTM) का आयोजन माँ–शिक्षक बैठक (MTM) के रूप में SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 18.11.2017 को विद्यालय समयारम्भ (प्रातः8.05) से अग्रांकित निर्देशानुरूप किया जावे :–

➢ पूर्व तैयारी एवं दायित्व :–

माँ–शिक्षक बैठक (MTM) तभी सार्थक होगी, जब उक्त परिषद के सभी घटक अग्रांकित विवरणानुसार निर्देशित दायित्वों का समुचित निर्वहन करेंगे।

❖ संस्था प्रधान एवं शिक्षक गण :–

- बैठक की निर्धारित तिथि से पाँच दिवस पूर्व अभिभावकों की निमंत्रण पत्र भेजे जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करना। जैसा कि विगत बैठक दिनाक : 20.09.2017 में समस्त अभिभावकों को माह नवम्बर में दिनांक : 18.11.2017 को आयोज्य माँ–शिक्षक बैठक (Mother Teacher Meeting) में अपने पुत्र/पुत्री की महिला अभिभावक (माँ/दादी/ताई/चाची/बुआ/नानी/मामी/मौसी) को बैठक में भाग लेने हेतु अग्रिम सूचना प्रदान कर सानुरोध आमंत्रित किया जा चुका है। उक्तानुसार आमंत्रण पत्र एवं अन्य समुचित उपाय/माध्यम द्वारा पुरूष अभिभावक के साथ महिला अभिभावक की भी बैठक में उपस्थिति प्राथमिकता से सुनिश्चित किए जाने हेतु यथोचित कार्यवाही संस्था प्रधान एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा आवश्यक रूप से सम्पादित की जाएगी।
- SDMC/SMC सदस्यों को माता अभिभावकों को बैठक में सम्मिलित होने हेतु घर–घर जाकर सूचित/निमंत्रित करने हेतु प्रेरित करना।
- विद्यालय भवन/परिसर के बाहर की तरफ बैठक सूचना सम्बन्धी पोस्टर चिपकाना तथा स्थानीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों (मन्दिर/मस्जिद, बस स्टेण्ड, बाजार,

www.rajteachers.com

चसामुदायिक केन्द्र आदि) पर भी पोस्टर चिपकाने एवं संभव होने पर सार्वजनिक घोषणा की कार्यवाही प्रारम्भ करना।

- बैठक दिवस को अभिभावकों की उपयुक्त बैठक व्यवस्था एवं पेयजल की आवश्यकतानुसार उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना।
- स्कूल डायरी/एस.एम.एस./व्हाट्स-एप/पत्र द्वारा अभिभावकों को बैठक हेतु स्मरण पत्र भिजवाना।
- विद्यालय स्टाफ के साथ पूर्व तैयारी बैठक कर संयुक्त बैठक के दौरान अभिभावकों के साथ सम्मानजनक एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार हेतु आवश्यक निर्देश तथा सुझाव देते हुए अभिभावकों/आमंत्रित अतिथियों के उचित सत्कार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- बैठक के आगामी दिवस को बैठक में उपस्थित अभिभावकों का उपस्थिति विवरण आगे प्रेषित करना।
- बैठक में अनुपस्थित अभिभावकों को आगामी बैठक में भाग लेने हेतु सूचना/स्मरण पत्र प्रेषित करना।
- विगत की अध्यापक-अभिभावक परिषद की चारों बैठकों में भागीदारी करने वाले अभिभावकों को आभार ज्ञापित करना।

❖ <u>जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल उप निदेशक</u> :-

- बैठक के पाँच दिवस पूर्व से क्षेत्राधिकार के विद्यालयों द्वारा बैठक में भागीदारी हेतु निमंत्रण पत्र भेजे जाने की कार्यवाही कर समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन करना।
- जिला कलक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समुचित समन्वय एवं सम्पर्क कायम करते हुए बैठक के विस्तृत प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित करना। बैठक की सार्थक सफलता हेतु स्थानीय प्रशासन तंत्र का उचित एवं आवश्यक सहयोग प्राप्त करने तथा जिला/उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा बैठक दिवस को विद्यालयों में बैठक अवलोकन हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए अवलोकनोपरान्त रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में तत्दिवस ऑन लाईन फीडिंग लिंक http://:tinyurl.com/PTA-Monitoring-Form पर अपलोड किए जाने हेतु आग्रह करना। उक्तानुरूप जिले में कार्यरत अधिकारियों के विद्यालय अवलोकन हेतु आवश्यकतानुसार व्यवस्थाएं भी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर की जानी सुनिश्चित करावें।
- जिला स्तर पर व्हाट्स-एप/एस.एम.एस./इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों/प्रिन्ट मीडिया का यथोचित उपयोग बैठक के प्रचार-प्रसार एवं माता अभिभावकों की अधिकाधिक भागीदारी हेतु सुनिश्चित करना।
- क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में बैठक दिवस को बैठक व्यवस्था एवं पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु संस्था प्रधानों का आवश्यकतानुसार सम्बलन एवं मार्गदर्शन।
- जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल कार्यालय में पदस्थापित समस्त अधिकारियों **(अति. परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कार्यक्रम सहायक, समस्त महिला अधिकारी)** द्वारा बैठक दिवस को क्षेत्राधिकार में उत्कृष्ट विद्यालयों का बैठक अवलोकन हेतु भ्रमण कार्यक्रम निर्मित कर अवलोकनोपरान्त रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में तत्दिवस ऑन लाईन फीडिंग लिंक http://:tinyurl.com/PTA-Monitoring-Form पर अपलोड किए जाने हेतु निर्देशित करना।
- बैठक दिवस के तत्काल पश्चात बैठक में अभिभावक उपस्थिति प्रपत्र-4 में भरवाकर राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ को भिजवाया जाना।

www.rajteachers.com

➢ **<u>माँ–शिक्षक बैठक (MTM) एवं SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक की रूपरेखा :–</u>**

क्र.सं.	करणीय कार्यवाही	निर्धारित समयावधि
1	**प्रार्थना–सभा में भागीदारी :–** ● विद्यालय की प्रार्थना सभा में माता अभिभावकों को आवश्यक रूप से सम्मिलित होने हेतु यथोचित अनुरोध किया जावे। ● एक दो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बालक–बालिकाओं द्वारा दी जाए। इसका उद्देश्य बालक–बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ● SDMC एवं SMC के सदस्यों का पारस्परिक परिचय एवं उनके दायित्व के सम्बन्ध में चर्चा। ● राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों हेतु संचालित विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं के सम्बन्ध में माता अभिभावकों को अवगति प्रदान करना। ● विद्यालय विकास हेतु अभिभावकों के सुझाव एवं सवाल।	प्रार्थना सभा – 25 मिनट पारस्परिक सम्वाद – एक घण्टा
2	**विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विचार–विमर्श :–** प्रार्थना सभा एवं पारस्परिक सम्वाद कार्यक्रम के उपरान्त माह अक्टूबर में आयोजित द्वितीय परख में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध में माता अभिभावकों को अवगत करवाया जाना है। इस हेतु कक्षाध्यापकों द्वारा समन्वय करते हुए विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय में ठहराव/उपस्थिति एवं विषयवार प्रदर्शन के आधार पर आवश्यकतानुसार विषयाध्यापकों/कक्षाध्यापक एवं अभिभावकों का पारस्परिक सम्वाद स्थापित किया जाएगा। उक्त सम्वाद में प्रथम परख में विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक उपलब्धि के क्रम में द्वितीय परख में प्रगति/मूल्यांकन की समीक्षा करते हुए आगामी माह में आयोज्य अर्द्धवार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों के आशानुरूप प्रदर्शन के लिए अधिगम स्तर उन्नयन हेतु ध्यान दिये जाने योग्य बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। प्राथमिक स्तर पर SIQE/CCE कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के साथ निरन्तर कक्षा कक्षीय प्रक्रिया में गतिविधि आधारित शिक्षण करते हुए रचनात्मक व योगात्मक आंकलन किया जाता है। विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में विगत समय में कार्य पत्रकों में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य एवं विद्यार्थी पोर्टफोलियो का अवलोकन अभिभावकों को करवाते हुए अधिगम स्तर में प्रगति सांझा की जाए।	दो घण्टा
3	**<u>माँ–शिक्षक बैठक (MTM) एवं SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की संयुक्त बैठक का आयोजन</u> –** विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के सम्बन्ध में विषयाध्यापक/कक्षाध्यापक के माता अभिभावकों के साथ पारस्परिक सम्वाद कार्यक्रम के समान्तर SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन भी आवश्यकतानुसार समय प्रबंधन करते हुए किया जाना है, जिसमें पूर्व प्रदत्त निर्देशानुरूप विद्यालय की स्थानीय आवश्यकता के मुद्दों पर विचार–विमर्श एवं करणीय कार्यो के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित करने के साथ–साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा का समावेशन भी विद्यालय की आवश्यकतानुरूप किया जाए :– ● माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा की क्रियान्विति के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री जन–सहभागिता विद्यालय विकास योजना" के दिशा–निर्देशों से समस्त माता अभिभावक एवं SDMC सदस्यों को अवगत करवाते हुए	आवश्यकता के अनुरूप समय प्रबंधन करते हुए।

www.rajteachers.com

	विद्यालय विकास के लिए उक्त योजना की क्रियान्विति हेतु आवश्यक जनसहयोग जुटाने की संभावना पर विचार–विमर्श करना। • विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक विकास को निरन्तरता प्रदान करने हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए विद्यालय में विभागीय निर्देशानुरूप गठित "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" के माध्यम से सत्र : 2017–18 में "सखा संगम" कार्यक्रम के सार्थक एवं सुचारू आयोजन की रूपरेखा निर्मित करना। • SDMC/SMC को प्राप्त सहयोग राशि को आयकर अधिनियम की धारा–80(जी) के तहत आयकर से छूट हेतु विद्यालय द्वारा शासन के निर्देशानुरूप आयकर विभाग में पंजीयन हेतु की गई कार्यवाही से अवगत करवाना एवं उक्तानुसार विद्यालय विकास हेतु जन सहयोग जुटाने में अभिभावकों एवSDMC/SMCसदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। • शासन के निर्देशानुरूप विद्यालय में समन्वित किए गए आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण बाबत संस्था प्रधानों को प्रदत्त नवीन निर्देशों की अवगति अभिभावकों एवं SDMC/SMC सदस्यों को प्रदान करना एवं उक्त कार्य में उनका वांछित सहयोग प्राप्त करना। • बालिका शिक्षा पर चर्चा करना।	
4	**संस्था प्रधान का उद्बोधन एवं चर्चा :–** • विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक उपलब्धियों पर चर्चा। • विद्यालय विकास योजना (SDP) के समुचित क्रियान्वयन की जानकारी एवं माता अभिभावकों की भूमिका पर चर्चा। • विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, गृहकार्य एवं नियमित अध्ययन में अभिभावकों के सहयोग के सम्बन्ध में जागरूकता संदेश देना।	एक घण्टा
	भामाशाहों के योगदान की सराहना :– • विद्यालय में सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना।	
	अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान तथा फीड–बैक लेना :– • विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना एवं उनकी अनुकरणीय आदतों एवं प्रवृतियों का दूसरे विद्यार्थियों द्वारा अनुसरण करने हेतु प्रेरित करना। • विद्यालय विकास के लिये अभिभावकों के सुझाव एवं सवाल। • अध्यापक–अभिभावक परिषद (PTM) की माह फरवरी में दिनांक : 15.02.2018 को आयोज्य आगामी बैठक की अग्रिम सूचना प्रदान करते हुए बैठक में भाग लेने हेतु सानुरोध आमंत्रित करना।	

➢ **<u>माँ–शिक्षक बैठक (MTM) के पश्चात विद्यालय द्वारा करणीय कार्यवाही</u> –**

- बैठक में उपस्थित अभिभावकों का संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप–1(संलग्न परिशिष्ट–1) में हस्ताक्षर करवाकर अभिलेखों में अंकन करवाना।
- बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को संस्था प्रधान द्वारा तत्काल नियत प्रारूप–2(संलग्न परिशिष्ट–2) में पत्र जारी कर इस हेतु सूचित किया जाएगा एवं आगामी कार्य दिवस को विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों के

www.rajteachers.com

सम्बन्ध में अवगति प्राप्त करने तथा आगामी बैठक में भाग लेने हेतु आग्रह किया जाएगा।

- बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों का विवरण संस्था प्रधान द्वारा नियत प्रारूप–3 (संलग्न परिशिष्ट–3) में संधारित किया जाएगा।
- संलग्न प्रपत्र–4 (परिशिष्ट–4) में सूचना कार्यक्रम आयोजित होने से दो दिवस में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ) email : rajssa_cmecce@yahoo.com एवं निदेशालय के शैक्षिक अनुभाग के email shakshikcell edu@gmail.com. पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– परिशिष्ट 1, 2, 3 व 4

अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/जी/4146/पीटीएम–एमटीएम/2017–18 दिनांकः– 15/11/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारंम्भिक शिक्षा परीषद,जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित कर निवेदन है कि जिला/उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को जिले के विद्यालयों में दिनांक : 18.11.2017 को आयोजित होने वाली माँ–शिक्षक बैठक (MTM) में भागीदारी निभाने एवं मॉनिटरिंग प्रपत्र की ऑनलाईन फीडिंग लिंक http://:tinyurl.com/PTA-Monitoring-Form पर अपलोड करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।
5. समस्त मण्डल उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि परिक्षेत्र के समस्त विद्यालय में माँ–शिक्षक बैठक (MTM) प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप आयोजित किए जाने हेतु अधीनस्थ जिला कार्यालयों का समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन सुनिश्चित करते हुए स्वयं तथा कार्यालय के अधीनस्थ शिक्षाधिकारियों द्वारा उक्त बैठकों में भाग लेकर पूर्वोल्लेखित मॉनिटरिंग फार्म की ऑनलाईन पूर्ति लिंक http://:tinyurl.com/PTA.Monitoring-Form पर अपलोड करना व करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त निर्देशों की क्रियान्विति क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करें।
7. सहायक निदेशक, निजी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सहायक निदेशक, शाला दर्शन, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

15/11/17
सहायक निदेशक(शैक्षिक)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रारूप – 1

बैठक में उपस्थित रहने वाले अभिभावकों के विवरण का प्रारूप

मॉ–शिक्षक बैठक (MTM) राजकीय .... विद्यालय.................................

आदरणीय / आदरणीया ....

शुभाभिवादन !

विद्यालय में दिनांक 18.11.2017 को आयोजित मॉ–शिक्षक बैठक (MTM) की बैठक में आपकी उपस्थिति हेतु परिषद आपका आभार ज्ञापित करती है :–

क्र.सं.	विद्यार्थियों के नाम, जिनकी माता अभिभावकों ने बैठक में भाग लिया	नाम माता अभिभावक	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

धन्यवाद !

संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर
मय मुहर

www.rajteachers.com

प्रारूप – 2

बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को प्रेषणीय पत्र का प्रारूप

मॉ–शिक्षक बैठक : (MTM) राजकीय .... विद्यालय................................

आदरणीय / आदरणीया ....
शुभाभिवादन !

विद्यालय में दिनांक 18.11.2017 को आयोजित मॉ–शिक्षक बैठक (MTM) में सादर उपस्थिति हेतु आपसे आग्रह किया गया था। आपके अनुपस्थित रहने से महत्वपूर्ण विमर्श में आपकी भागीदारी नहीं हो सकी और न ही आपके पुत्र / पुत्री .... (विद्यार्थी का नाम), कक्षा................वर्ग....................की शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक प्रगति / आवश्यकताओं से सम्बन्धित अवगति दी जा सकी। अतः आपसे आग्रह है कि आगामी कार्य दिवस को विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यार्थी की प्रगति एवं बैठक के विमर्श एवं सुझावों की अवगति प्राप्त करले।

उक्त क्रम में निवेदन है कि अध्यापक–अभिभावक परिषद (PTM) की माह फरवरी में दिनांक : 15.02.2018 को इस सत्र की चतुर्थ बैठक आयोज्य है। उक्त बैठक की अग्रिम सूचना प्रदान करते हुए अनुरोध है कि आगामी बैठक में भागीदारी निभाने हेतु अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करावे।

धन्यवाद !

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मुहर

www.rajteachers.com

प्रारूप – 3

–: माँ–शिक्षक बैठक (MTM) में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों का विवरण :–

क्र.सं.	विद्यार्थियों के नाम, जिनकी माता अभिभावकों ने बैठक में दिनांक : 18.11.2017 में भाग नहीं लिया	संस्था प्रधान द्वारा अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को प्रेषित पत्र की दिनांक
1		
1		
2		
3		
4		
5		

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मुहर

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–4

प्रारूप – 4

सामुदायिक गतिशीलता

माता–अभिभावक बैठक 2017–18

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	कुल विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों की संख्या जहाँ बैठक आयोजित हुई	विद्यार्थियों की संख्या जिनके माता अभिभावक ने बैठक में भाग लिया।	विद्यार्थियों की संख्या जिनके माता अभिभावक ने बैठक में भाग नहीं लिया	कितने प्रतिशत माता अभिभावक ने बैठक में भागीदारी की	बैठक में उपस्थित महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या	प्राप्त जनसहयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट :– उत्कृष्ट विद्यालयों की सूचना पृथक से भिजवाये।

www.rajteachers.com